लेखपत्र की तैयारी एवं पंजीकरण हेतु प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी दिशा निर्देश -

- लेखपत्र के पक्षकार अपने विलेख की तैयारी स्वयं कर सकते हैं। पक्षकारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के पश्चात अधिकांश लेखपत्रों का तैयारी सॉफ्टवेयर द्वारा स्वयं की जाती है।
- यदि पक्षकार चाहें तो जिला निबंधक द्वारा अधिकृत/ लाइसेंस प्राप्त दस्तावेज लेखक/प्रलेखकों से अपना लेखपत्र तैयार करा सकते हैं। दस्तावेज लेखकों/प्रलेखकों का कार्य स्थान प्रायः उप निबंधक कार्यालय के आसपास रहता है किसी दस्तावेज लेखक को लेख पत्र तैयार करने का कार्य सौंपने के पूर्व उसके लाइसेंस की स्थिति तथा उसकी फीस की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, दस्तावेज लेखकों की फीस का विवरण लेख पत्र में यथास्थान दिया जाना आवश्यक है।
- तैयार किए गए लेखपत्र पर नियमानुसार यथास्थान इसके सभी निष्पादकगण एवं गवाहों की फोटो चस्पा की जाएगी।
- तदोपरांत सभी निष्पादनकर्ताओं द्वारा लेखपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवम् अंगुष्ठ चिन्ह अंकित किए जाएंगे एवं पुष्टि स्वरूप गवाहों द्वारा निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ चिन्ह अंकित किए जायेंगे ।
- मूल लेखपत्र तैयार करने के उपरांत इनकी फोटोस्टेट प्रति तैयार की जावेगी एवं सभी निष्पादकों द्वारा सभी पृष्ठों को प्रमाणित किया जायेगा।
- उक्त पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन में उपलब्ध व्यवस्था के माध्यम से ऑनलाइन निबंधन शुल्क अदा करने के पश्चात ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया जाएगा।
- पूर्व निर्धारित अपॉइंटमेंट (Appointment) के समय पर ही समस्त पक्षकारों व हासिया गवाह को पहचान पत्र तथा निवास के मूल प्रमाण पत्रों के साथ सम्बंधित उपनिबंधक के समक्ष स्वयं प्रस्तुत होना है।
- अपने पूर्व निर्धारित समय से विरत किसी अन्य समय पर पंजीकरण हेतु लेखपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित रखने के दृष्टिगत लेखपत्रों पर निर्धारित अवधि में स्टाम्प शुल्क यथासम्भव ई-स्टाम्प अथवा फ़िज़िकल स्टाम्प के माध्यम से भी अदा किया जा सकेगा।
- कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित रखने के क्रम में निर्धारित अवधि में लेखपत्र के पंजीकरण पर देय रु० 20000/- से अधिक निबंधन शुल्क का भुगतान यथासम्भव ऑनलाइन किया जाएगा ।